For More Practice Sets, Visit Our Website
www.typingwarriors.com

HIDNI TYPING MATTER

1. **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, (1973) 4 SCC 225** के ऐतिहासिक मामले में भारत के माननीय **सर्वोच्च न्यायालय** ने संविधान के **अनुच्छेद 368** के अंतर्गत संशोधन शक्ति की सीमाओं को परिभाषित किया है। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है और ***"संविधान की मूल संरचना"*** को नहीं बदला जा सकता। इस फैसले ने भारतीय लोकतंत्र को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2. इस फैसले में मुख्य न्यायाधीश सीकरी और 13 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने यह स्पष्ट किया कि लोकतंत्र, कानून का शासन और शक्तियों का पृथक्करण संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि संविधान का **"मूल ढांचा"** किसी भी संशोधन से अछूता रहना चाहिए। यह सिद्धांत संसद और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है।

3. न्यायमूर्ति खन्ना ने अपने निर्णय में कहा कि, *"संविधान में संशोधन की शक्ति व्यापक है, लेकिन इसे ऐसे प्रयोग नहीं किया जा सकता जो संविधान के बुनियादी तत्वों को नष्ट कर दे।"* उन्होंने यह भी कहा कि संविधान का हर प्रावधान ***(1) Equality*** और ***(2) Justice*** की भावना के अनुरूप होना चाहिए।

4. यह फैसला भारतीय लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसने यह सुनिश्चित किया कि ***संविधान की आत्मा*** को किसी भी परिस्थिति में खतरे में नहीं डाला जा सकता। यह न्यायपालिका की भूमिका को लोकतंत्र का संरक्षक मानते हुए मजबूत करता है। यह निर्णय आज भी संविधान की व्याख्या और विकास में मार्गदर्शक बना हुआ है।

www.typingwarriors.com